



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च 2013-चैत्र 1, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खंडपीठ के समक्ष
(मूल कम्पनी क्षेत्राधिकार)

कम्पनी याचिका क्र. 11/2013

कम्पनी याचिका (आवेदन) क्र. 5/2013 के साथ
कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में

एवं

केमल इस्टेट्स प्रायवेट लिमिटेड के साथ बांकड़ा
रियल्टी प्रायवेट लिमिटेड, अजय ज्योति इस्टेट
प्रायवेट लिमिटेड, बांकड़ा हाउसिंग प्रायवेट
लिमिटेड, बांकड़ा डेवेलपर्स प्रायवेट लिमिटेड,
केदार विजय हाउसिंग प्रायवेट लिमिटेड, विमला
हाउसिंग प्रायवेट लिमिटेड, अजय लक्ष्मी
हाउसिंग प्रायवेट लिमिटेड की समामेलन योजना
कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत धारा
391-394 के मामले में

एवं

के मामले में :

केमल इस्टेट्स प्रायवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी
एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 308 पलासिया टॉवर,
1/2, न्यू पलासिया, इन्दौर-452001 (म. प्र.)

बांकड़ा रियल्टी प्रायवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी
एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 308 पलासिया टॉवर,
1/2, न्यू पलासिया, इन्दौर-452001 (म. प्र.)

याचिकाकर्ता क्र. 1/
अंतरिती

याचिकाकर्ता क्र. 2/
अंतरक क्र. 1

अजय ज्योति इस्टेट प्रायवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी
एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 308 पलासिया टॉवर,
1/2, न्यू पलासिया, इन्दौर-452001 (म. प्र.)

**याचिकाकर्ता क्र. 3/
अंतरक क्र. 2**

बांकड़ा हाउसिंग प्रायवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी
एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 308 पलासिया टॉवर,
1/2, न्यू पलासिया, इन्दौर-452001 (म. प्र.)

**याचिकाकर्ता क्र. 4/
अंतरक क्र. 3**

बांकड़ा डेवेलपर्स प्रायवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी
एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 308 पलासिया टॉवर,
1/2, न्यू पलासिया, इन्दौर-452001 (म. प्र.)

**याचिकाकर्ता क्र. 5/
अंतरक क्र. 4**

केदार विजय हाउसिंग प्रायवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी
एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 308 पलासिया टॉवर,
1/2, न्यू पलासिया, इन्दौर-452001 (म. प्र.)

**याचिकाकर्ता क्र. 6/
अंतरक क्र. 5**

विमला हाउसिंग प्रायवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी
एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 308 पलासिया टॉवर,
1/2, न्यू पलासिया, इन्दौर-452001 (म. प्र.)

**याचिकाकर्ता क्र. 7/
अंतरक क्र. 6**

अजय लक्ष्मी हाउसिंग प्रायवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी
एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 308 पलासिया टॉवर,
1/2, न्यू पलासिया, इन्दौर-452001 (म. प्र.)

**याचिकाकर्ता क्र. 8/
अंतरक क्र. 7**

याचिका की सूचना

उपरोक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 के अन्तर्गत दिनांक 23 फरवरी, 2013 को, केमल इस्टेट्स प्रायवेट लिमिटेड (अंतरिती कम्पनी) के साथ बांकड़ा रियल्टी प्रायवेट लिमिटेड, अजय ज्योति इस्टेट प्रायवेट लिमिटेड, बांकड़ा हाउसिंग प्रायवेट लिमिटेड, बांकड़ा डेवेलपर्स प्रायवेट लिमिटेड, केदार विजय हाउसिंग प्रायवेट लिमिटेड, विमला हाउसिंग प्रायवेट लिमिटेड, अजय लक्ष्मी हाउसिंग प्रायवेट लिमिटेड (अंतरक कम्पनियां) की समामेलन योजना की मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की गई है तथा उपरोक्त याचिका को दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को माननीय कम्पनी न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त याचिका का समर्थन या आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह व्यक्ति याचिकाकर्ताओं के अभिभाषक को इस आशय की सूचना, अपना नाम व पता सहित या अपने अभिभाषक के माध्यम से सुनवाई दिनांक से 2 दिन पूर्व भिजवाये, यदि वह आपत्ति करता है तो आपत्ति करने का कारण शपथ-पत्र की प्रतिलिपि सहित सूचना-पत्र के साथ भिजवाये एवं यदि ऐसा व्यक्ति याचिका की प्रति प्राप्त करना चाहता हो तो याचिकाकर्ताओं के अभिभाषक से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकता है।

दिनांक 12 मार्च, 2013

(356-बी.)

यतीश लाड़, अभिभाषक
तर्फे याचिकाकर्ता कम्पनियां
304, जे. वी. कॉम्प्लेक्स,
2/13 रेस कोर्स रोड,
इन्दौर-450001 (म. प्र.)

अन्य सूचनाएं**नाम परिवर्तन**

माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सिहोरा, जबलपुर राजस्व प्रकरण क्रमांक/202/2011-12 में पारित निर्णय दिनांक 19 सितम्बर, 2012 के परिपालन में श्री सुकमलचन्द्र जैन/श्री बालचन्द्र जैन, निवासी मझौली, जिला जबलपुर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 27 सितम्बर, 2012 का निराकरण निम्नानुसार किया जाता है:—

1. कु. दीपाली जैन के शाला में प्रवेश के दौरान माता व पिता के नाम के स्थान पर आवेदनकर्ता श्री सुकमलचन्द्र जैन के बड़े भाई श्री अजीत कुमार जैन ने स्वयं व अपनी पत्नी श्रीमती सुषमा जैन का नाम लिखवा दिया था.
2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर कु. दीपाली जैन के पिता व माता वास्तविक रूप से श्री सुकमलचन्द्र जैन/श्रीमती मधु जैन प्रमाणित होता है. अतः अभिलेखों में त्रुटिवश अंकित माता पिता का नाम संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है.

सुकमल चन्द्र जैन,
मझौली.

(355-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरेश कुमार सोंधिया कार्यालय कनिष्ठ यंत्री, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. लिमिटेड, चचाई के कार्यालय सहायक श्रेणी तीन के पद पर कार्यरत हूँ. मेरा मूल नाम सुरेश कुमार सोंधिया है. जो मेरी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में दर्ज है. मेरे सेवा अभिलेखों में त्रुटिवश मेरा सही नाम सुरेश कुमार सोंधिया के स्थान पर सुरेश सोंधिया लेख है. मैं सेवा अभिलेखों में त्रुटिवश उक्त त्रुटि के सुधार बाबत यह सूचना प्रकाशित करवा रहा हूँ. जिस किसी को आपत्ति हो मेरे अथवा कनिष्ठ यंत्री, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. लिमिटेड, चचाई के समक्ष सात दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं.

पुराना नाम :

(सुरेश सोंधिया)

नया नाम :

(सुरेश कुमार सोंधिया)

म. नं. 26, प्रियदर्शनी नगर,
त्रिलंगा, भोपाल (म. प्र.)

(354-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अपने पक्षकार विजय तट्टे आत्मज श्री एस. एम. तट्टे, निवासी ई-4/13, अरेरा कॉलोनी, भोपाल जो कि म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में कनिष्ठ यंत्री के पद पर कार्यरत है, की ओर से सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकार का सही व वास्तविक नाम विजय तट्टे है. किन्तु मेरे पक्षकार के सेवानियुक्ती व कुछ अभिलेखों में मेरे पक्षकार का नाम विजय कुमार तट्टे त्रुटिवश अंकित हो गया है. मेरे पक्षकार ने उनके नाम के आगे दर्ज कुमार शब्द को विलोपित कर दिया है. विजय तट्टे एवं विजय कुमार तट्टे दोनों नाम मेरे पक्षकार एक ही व्यक्ति के हैं. अब भविष्य में मेरे पक्षकार को विजय तट्टे आत्मज श्री एस. एम. तट्टे के नाम से जाना, पहचाना व लिखा जावे.

भवदीय

अब्राहम जोसफ

(एडवोकेट)

जे. जे. एसोसियेट्स

शाप नं. 2, तवा कॉम्प्लेक्स,

बिट्टन मार्केट, भोपाल.

(351-बी.)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम शशीप्रभा आर्य था जिसमें मैंने अपना उपनाम बदलकर शशीप्रभा जैन कर लिया है. अतः अब मुझे मेरे नए नाम शशीप्रभा जैन से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(शशीप्रभा आर्य)

(358-बी.)

नया नाम:

(शशीप्रभा जैन)

226, प्रोफेसर कॉलोनी, वार्ड नं. 17,
आगर, जिला शाजापुर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, शेर खान पिता अब्दुल रशीद खान मैं अपने पुराने नाम का त्याग करता हूँ और अपना नया नाम अब्दुल वाजिद पिता अब्दुल रशीद खान रखता हूँ. मुझे सभी लोग इसी नये नाम अब्दुल वाजिद के नाम से जानें व पहचानें.

पुराना नाम :

(शेर खान)

(359-बी.)

नया नाम:

(अब्दुल वाजिद)

52, बेगम बाग कॉलोनी, जबरन कॉलोनी,
उज्जैन (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमरीश सिंह पुत्र श्री मांगीलाल, निवासी 119, आर्दशपुरम्, भिण्ड रोड, ग्वालियर प्रारम्भ से अपना नाम अमरीश सिंह लिखता था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में भी अंकित है. वर्तमान में अपना नाम देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मांगीलाल लिखना आरम्भ कर दिया है.

अतः भविष्य में भी मुझे मेरे नाम अमरीश सिंह के स्थान पर देवेन्द्र सिंह के नाम से जाना जावे एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(अमरीश सिंह)

(360-बी.)

नया नाम:

(देवेन्द्र सिंह)

पुत्र श्री मांगीलाल,
निवासी 119, आर्दशपुरम्, भिण्ड रोड, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुनील कुमार पुत्र श्री रामअवतार, निवासी C/o देवेन्द्र सिंह, तामेश्वर महादेव, जहाँगीर कटरा, ग्वालियर प्रारम्भ से अपना नाम सुनील कुमार लिखता था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में भी अंकित है. वर्तमान में अपना नाम पंकज श्रीमंत पुत्र श्री रामअवतार लिखना आरम्भ कर दिया है.

अतः भविष्य में भी मुझे मेरे नाम सुनील कुमार के स्थान पर पंकज श्रीमंत के नाम से जाना जावे एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(सुनील कुमार)

(361-बी.)

नया नाम:

(पंकज श्रीमंत)

पुत्र श्री रामअवतार,
C/o देवेन्द्र सिंह, तामेश्वर महादेव,
जहाँगीर कटरा, ग्वालियर (म. प्र.).

उपनाम परिवर्तन

मैं, रामगोपाल गौड का उपनाम परिवर्तन आज दिनांक 15 फरवरी, 2013 से रामगोपाल इमना हो गया. मुझे इसी उपनाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(रामगोपाल गौड)

(352-बी.)

नया नाम :

(रामगोपाल इमना)

म. नं. 26, प्रियदर्शनी नगर,
त्रिलंगा, भोपाल (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पूर्व मैं मधुबाला लालवानी पुत्री श्री दौलतराम लालवानी स्थान हरिद्वार के नाम से जानी पहिचानी जाती थी, लेकिन विवाह उपरान्त अब मेरा नाम श्रीमती रोमा चावला पत्नी श्री हरीश चावला हो गया है. विवाह उपरान्त समस्त शासकीय, अर्धशासकीय दस्तावेजों में मैं अब इसी नाम से जानी पहिचानी जाती हूँ.

पुराना नाम :

(मधुबाला लालवानी)

(365-बी.)

नया नाम:

(रोमा चावला)

पत्नी श्री हरीश चावला,
पता—लाला का बाजार, गाढ़वे की गोठ,
लश्कर, ग्वालियर.

सूचना

हर खासोआम को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स एस. गुरुदेव सिंह हरनेक सिंह, वाराघाट इन्डस्ट्रीयल एरिया, झांसी रोड, ग्वालियर (म. प्र.) के नाम से संचालित है, जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक A.R.G./FIRM/23, दिनांक 06-09-1997 है तथा उपरोक्त फर्म में निम्न भागीदार सम्मिलित थे:—

1. श्रीमती प्रीतम कौर पत्नि श्री हरनेक सिंह
2. श्री एस. सन्तोख सिंह

उपरोक्त फर्म मैसर्स एस. गुरुदेव सिंह हरनेक सिंह के एक भागीदार श्रीमती प्रीतम कौर का स्वर्गवास दिनांक 27-01-2008 हो गया है. इस कारण फर्म को सुचारु रूप से भागीदारी में चलाने के लिये श्रीमती प्रीतम कौर के स्थान पर नये भागीदार श्री एस. मनजीत सिंह को सम्मिलित किया गया है. इस प्रकार फर्म मैसर्स एस. गुरुदेव सिंह हरनेक सिंह में निम्न साझेदार रहेंगे:—

1. श्री एस. सन्तोख सिंह
2. श्री एस. मनजीत सिंह

अतः उपरोक्त भागीदार की फर्म से अलग होने एवं फर्म में नये भागीदार के सम्मिलित होने की सूचना फर्म द्वारा इस समाचार-पत्र के विज्ञापन के माध्यम से दी जा रही है.

(353-बी.)

एस. सन्तोख सिंह

(भागीदार)

मैसर्स एस. गुरुदेव सिंह हरनेक सिंह.

नाम परिवर्तन

मेरा नाम श्रीमती रजनीश पति दिलीप भण्डारी था. मैंने अपना नाम बदलकर श्रीमती रजनी दिलीप भण्डारी कर लिया है. अब मुझे इस नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(रजनीश भण्डारी)

(362-बी.)

नया नाम:

(रजनी भण्डारी)

W/o दिलीप भण्डारी,
36, महेश्वर रोड, बड़वाह,
जिला खरगौन (म. प्र.).

CHANGE IN NAME

I, SHOBHANA BAJPAI here by Declare that I have change my name as YAMINI BAJPAI W/o RAVI SHANKAR BAJPAI. So, from now and in future. I, will be known by my new name.

Old Name :

New Name :

(SHOBHANA BAJPAI)

(YAMINI BAJPAI)

(363-B.)

W/o Ravi Shankar Bajpai
318-A, Mahalaxmi Nagar, Indore (M. P.).**जाहिर सूचना**

यह कि, हमारी फर्म मेसर्स औलिया साहब बिस्मिल्लाह साहब, लोहरमंडी, बुरहानपुर (म. प्र.) के पार्टनर—1. श्री मकतूम साहब, 2. श्री कमाल साहब, 3. श्री मोहम्मद अफजल साहब, 4. मोहम्मद ईस्माइल साहब थे. जिसमें से श्री मकतूम साहब का देहांत दिनांक 9-1-2010 को हो गया है व श्री कमाल साहब का देहांत दिनांक 9-1-2010 को हो गया है व श्री कमाल साहब दिनांक 9-1-2010 से उपरोक्त फर्म से रिटायर हो चुके हैं. पार्टनरशिप डीड दिनांक 10-1-2010 से शेष पार्टनर श्री मोहम्मद अफजल और मोहम्मद ईस्माइल उपरोक्त फर्म मेसर्स औलिया साहब बिस्मिल्लाह साहब में पार्टनर रहे हैं.

M/s. AULIYA SAHAB BISMILLAH SAHAB

मोहम्मद अफजल,

(364-बी.)

PARTNER.

जाहिर सूचना

हमारे पक्षकार श्री विजय वर्मा से स्वयं की ओर से तथा भागीदारी फर्म सुपर कम्प्यूटर्स 205, फर्स्ट फ्लोर आर. के. प्लाजा फ्रीगंज, उज्जैन की ओर से प्राप्त प्रतिबोधन एवं निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त फर्म के भागीदार श्री नवीन ललावत जो कि दिनांक 14-09-2012 तक भागीदारी फर्म में भागीदार रहे हैं, किन्तु कतिपय निजी कारणों से श्री नवीन ललावत सुपर कम्प्यूटर्स 205, फर्स्ट फ्लोर, आर. के. प्लाजा फ्रीगंज, उज्जैन से उन्होंने अपनी स्वेच्छा से फर्म से इस्तीफा देकर उपरोक्त भागीदारी फर्म से अपने आपको अलग कर लिया है और उनके द्वारा सम्पूर्ण निवेशित पूंजी भी प्राप्त करली है और दिनांक 14-09-2012 तक की कार्यशील पूंजी जो उनके द्वारा लगाई गई थी अपने अंश के अनुसार तथा सम्पूर्ण लाभांश अनुसार भी प्राप्त कर लिया है. अब सुपर कम्प्यूटर्स भागीदार फर्म में उनका कोई अधिकार व लेनदारी शेष नहीं है. समस्त आमजन, संस्था निकाय आदि को यह सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार की उपरोक्त भागीदारी फर्म के नाम से श्री नवीन ललावत से किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करे एवं यदि कोई व्यक्ति या संस्था करती है तो ऐसा व्यवहार शून्य होगा और मेरे पक्षकार या उक्त भागीदारी फर्म पर बंधनकारक नहीं होगा. पंजीकृत फर्म के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि फर्म से अलग हुए भागीदार श्री नवीन ललावत के स्थान पर श्रीमती मंजू वर्मा पति श्री चंद्रेश वर्मा, निवासी 10-ए स्नेह नगर, सांवेर रोड, उज्जैन फर्म के नये भागीदार के रूप में पदार्पित हो गये हैं और उन्होंने फर्म के भागीदार के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली है. सो विदित हो. इति दिनांक 11-03-2013.

एम. एस. खान,

(एडवोकेट)

(357-बी.)

11-अमरापुरा, दादा भाई नौरोजी मार्ग, उज्जैन (म. प्र.).

विविध**निविदा सूचनाएं**

भोपाल, दिनांक 2 मार्च, 2013

अल्पावधि निविदा-सूचना

क्र.जी. बी./ दो (10)2013/918.—मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल में जीवित पंजीकृत समस्त मुद्रकों एवं जिल्दसाजों से रूक्रीन प्रिंटिंग एवं यू. व्ही. कोटिंग कार्य करने के इच्छुक निविदाकारों से दोहरी लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित निविदा प्रपत्र में तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा (पृथक्-पृथक् लिफाफों में सीलबन्द कर) दिनांक 25 मार्च, 2013 अपरान्ह 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है. निविदा-प्रपत्र रुपये 200.00 (रुपये दो सौ मात्र) नगद जमा कर दिनांक 23 मार्च, 2013 अपरान्ह 4.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में क्रय किये जा सकते हैं. विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा. निविदा प्रपत्र को मध्यप्रदेश शासन की वेबसाईट www.tenders.gov.in एवं www.govtpressmp.nic.in पर भी रखा गया है.

2. वेबसाईट से डाऊनलोड कर प्रस्तुत किये जा रहे निविदा प्रपत्र के साथ राष्ट्रीयकृत/अनुसूची बैंक का रुपये 200.00 (रुपये दो सौ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल के पक्ष में तैयार कर संलग्न करना होगा. संलग्न न होने की स्थिति में निविदा अस्वीकार की जायेगी.

3. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 25 मार्च, 2013 अपरान्ह 3.00 बजे निविदाकारों या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी. तकनीकी निविदाओं के परीक्षण उपरान्त वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि एवं समय की सूचना वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी. डाक विभाग से निविदा आदि भेजने एवं इस कार्यालय में प्राप्त करने आदि में हुए विलम्ब के लिये नियंत्रक कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा.

4. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नियंत्रक के पास सुरक्षित रहेगा.

यू. एन. सिन्हा,
संयुक्त नियंत्रक.

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(164)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन

प्र. क्र. /बी-113/2011-12.

प्रारूप-चार

[नियम- 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन,
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रतिनिधि श्री प्रवीण बम पिता बसंतिलालजी बम, निवासी-53, आजाद नगर, उज्जैन आदि ने श्री शीतल धार्मिक परमार्थिक न्यास उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12 अप्रैल, 2013 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 12 अप्रैल, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने के विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	..	श्री शीतल धार्मिक परमार्थिक न्यास, उज्जैन.
कार्यालय	..	53, आजाद नगर, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	..	वृंदावनपुरा, महावीर नगर, उज्जैन भवन क्रमांक 67 क्रय, दिनांक 22 नवम्बर, 2004 रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र की छायाप्रति के आधार पर.
चल सम्पत्ति	..	ट्रस्ट के पास नगद, 5,000/- रुपये हैं.

(145)

प्र. क्र. 12/बी-113/2011-12.

प्रारूप-चार

[नियम- 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन.
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रतिनिधि श्री अभय मराठे पिता श्री वसंतरावजी मराठे, निवासी सी-7/19, ऋषि नगर, उज्जैन आदि ने मराठी व्यवसायिक मंडल न्यास, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12 अप्रैल, 2013 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 12 अप्रैल, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	..	मराठी व्यवसायिक मंडल न्यास, उज्जैन.
कार्यालय	..	190, सेठी नगर, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
चल सम्पत्ति	..	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक के खाता क्रमांक 940110100007045 में प्रस्तुत बैंक पासबुक की छायाप्रति अनुसार 1,39,961/- रुपये जमा है.

आर. एस. मीना,

पंजीयक एवं संयुक्त कलेक्टर.

(146-A)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, सागर

सागर, दिनांक 5 मार्च, 2013

प्र. क्र. 41 बी/113/2011-12.

मौजा-सागरखास

क्र. क/री-3/अ.वि.अ./13.—एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक एम. के. उर्मिल अध्यक्ष श्री सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय, सागर तहसील सागर द्वारा नियम-4 (1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर श्री सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय, सागर के पंजीयन हेतु निवेदन किया है. जिसके पदाधिकारीगण निम्नानुसार हैं:—

1. श्री हीरालाल जैन पिता चिन्तामन जैन, प्रबंधक निवासी अंकुर कॉलोनी रजाखेडी, 2. श्री सुरेशचन्द्र जैन पिता स्व. सतीषचन्द्र जैन, 3. राजेश कुमार जैन पिता स्व. कोमलचन्द्र बजाज, 4. श्री पं. विनोद कुमार जैन पिता स्व. कपूरचंद्र जैन, 5. श्री अक्कीश कुमार पिता स्व. मनोहरलाल जैन, सदस्यगण हैं.

(लोक न्यास का नाम, पता एवं संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम . . . "श्री ऋषभनाथ देवस्थानत ट्रस्ट, सागर."
 पता . . . श्री ऋषभनाथ देवस्थानत ट्रस्ट, अंकुल कॉलोनी एक्सटेंशन रजाखेडी, सागर (म. प्र.).
 अचल सम्पत्ति . . . एक निर्मित भवन एवं भू-खण्ड माप 1250 वर्गफुट कीमत 20,46,000/- अंकुर कॉलोनी एक्सटेंशन तहसील व जिला सागर.

चल सम्पत्ति :

अतः उपरोक्तानुसार ट्रस्ट रजिस्टर्ड किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेश कर सकता है. बाद गुजरने म्याद के किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 05 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

पेशी, दिनांक 05-04-2013.

(146)

रवीन्द्र चौकसे,
 अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर

प्र. क्र. 51/बी-121/2012-13.

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)
 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

श्री इमरतसिंह द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने का सुझाव देने का विचार रखता हो, तो इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 14 मार्च, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता . . . श्री रामजानकी मंदिर, सुआखेडी.
 श्री रामजानकी सेवा न्यास, सुआखेडी.
 चल सम्पत्ति :

क्रमांक	विवरण
1.	हारमोनियम-1, ढोलक-2, झाझरा-2, मंजीरा-2 सेट, माईक सेट-1, पंखे-3, गैस छोटी-1, टिल्लू पम्प-1, घंटार-1, फर्श-2, चांदी के हार-3, मूर्ति पीतल की-12, छत्र-4, मुकुट-3, विजय घंटार-1, ताशक पीतल की-1, पानी की टंकी-1.

ग्राम सुआखेडी में 4.306 हे. भूमि मंदिर श्री रामजानकी के नाम स्थित है.

(147)

एस. सी. शर्मा,
 अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल

प्ररूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि “चंदेरिया प्रायवेट ट्रस्ट” द्वारा श्री दयाराम चंदेरिया स्व. श्री लक्ष्मण प्रसाद निवासी 2/10, संजय कॉम्प्लेक्स माता मंदिर के पास, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 19 मार्च, 2013 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	..	“चंदेरिया प्रायवेट ट्रस्ट”
2. अचल सम्पत्ति	..	—
3. चल सम्पत्ति	..	11,000/-

सुनील दुबे,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(148)

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर

प्र. क्र. बी/113/2012-13.

दिनांक 30 जनवरी, 2013

प्रारूप-तृतीय

[नियम पाँच-1 देखिये]

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि अध्यक्ष, भागचन्द चिरंजीलाल पहाड़िया, निवासी 33, मारवाड़ी कॉलोनी, राजस्थानी भवन के सामने, बहादुरपुर रोड, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश ने “आचार्य विद्यासागर शिक्षा निकेतन, बुरहानपुर” का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये “लोक न्यास” के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

1. आचार्य विद्यासागर शिक्षा निकेतन, बुरहानपुर.
2. चल सम्पत्ति .. 30,000/- बचत खाता बैंक ऑफ इण्डिया, इन्दिरा नगर शाखा, बुरहानपुर में जमा.
3. अचल सम्पत्ति .. निरंक.

सूरज नागर,

पंजीयक.

(149)

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिपरिया

रा. प्र. क्र. 02/बी-113/2012-13.

दिनांक 02 मार्च, 2013

मौजा:—देवगांव पिपरिया

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, पिपरिया जिला होशंगाबाद के समक्ष.

आवेदक शरदचन्द्र जोशी पुत्र स्व. श्री मारूतीराव जोशी अन्य-04, निवासी पचमढी रोड पिपरिया, तहसील पिपरिया द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाकर स्व. श्री मारूती जोशी स्मृति सेवा न्यास, पिपरिया के नाम से लोक न्यास का पंजीयन किया जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 2013 के 04 माह कि 02 दिनांक पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

स्व. मारूती जोशी स्मृति सेवा न्यास, पिपरिया, तहसील पिपरिया.

ग्राम देवगांव पिपरिया में स्थित परिवर्तित भूमि ख. नं. 255/2 में से रकबा 5007 वर्गफुट.

तरूण राठी,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

(150)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभाग, शाजापुर

प्र. क्र. 01/बी-113/2012-13.

(शीर्षक श्री दरिया समाज महासभा देवलाबिहार, जिला शाजापुर)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक लोक न्यास के समक्ष.

चूंकि श्री रामसिंह पिता श्री गोपालसिंह निवासी ग्राम देवलाबिहार, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर अध्यक्ष श्री दरिया समाज महासभा देवलाबिहार, जिला शाजापुर द्वारा श्री दरिया समाज महासभा ट्रस्ट, निवासी देवलाबिहार, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत जो कि एक धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी चल-अचल सम्पत्ति परिशिष्ट में दर्शायी गई है. सर्व-सम्बन्धित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है.

जोकि व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो, उसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अधिसूचना प्रकाशन से तीस दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें. उक्त नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा.

परिशिष्ट "अ"

न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण : नगदी राशि रुपये 1,000/- (एक हजार रुपया मात्र).

परिशिष्ट "ब"

न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण : निरंक.

(160)

शैली कनाश,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी/रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 28 फरवरी, 2013

रा. प्र. क्र. 01/बी-113/2012-13.

फॉर्म-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) के तहत]

क्र. 686/रीडर/2013.—आवेदिका श्रीमती कल्पना भूरिया पति कांतिलाल भूरिया, निवासी झाबुआ द्वारा लाडकीदेवी भूरिया पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, झाबुआ को सार्वजनिक लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र धारा 4-5, मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है.

2. जिसकी सुनवाई दिनांक 28 मार्च, 2013 को इस न्यायालय में समय प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

3. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रति रुचि हो और प्रकरण में नियत दिनांक 28 मार्च, 2013 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को इस न्यायालय में उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि पश्चात् प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का पूरा नाम . . . लाडकीदेवी भूरिया पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट.

अचल सम्पत्ति का विवरण . . . निरंक.

चल सम्पत्ति का विवरण . . . रुपये 11,000/- (ग्यारह हजार रुपये मात्र) बैंक ऑफ बड़ोदा में जमा हैं.

(161)

सज्जय चतुर्वेदी,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, वि. गढ़, जिला-कटनी

प्र. क्र. 02/बी-113 (4) /2012-13.

दिनांक 26 फरवरी, 2013

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) 95 की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम-1962 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि अध्यक्ष श्री बद्रीप्रसाद सोनी द्वारा श्री गायत्री शक्तिपीठ ज्ञान मंदिर संडे मार्केट, कैमोर, जिला कटनी मंदिर ट्रस्ट के लोक न्यास पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति, दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन समय/

दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	..	श्री गायत्री शक्तिपीठ ज्ञान मंदिर, संडे मार्केट कैमरो, तहसील वि. गढ़, जिला कटनी (म. प्र.).
चल सम्पत्ति	..	निरंक.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.

पेशी दिनांक 28 मार्च, 2013.

(162)

विनय कुमार जैन,
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय संयुक्त नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च, 2013

शाकेमु/स्था/प्रशिक्षु/() 2013/785.—शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में प्रशिक्षु नियम 1992 के तहत एक वर्ष/दो वर्ष/ तीन वर्ष के प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का वेतन एवं भत्ता नहीं दिया जावेगा. जिन उम्मीदवारों को प्रशिक्षु हेतु चयनित किया जावेगा उन्हें निर्धारित स्टार्डिपेंड एक वर्ष/दो वर्ष/ तीन वर्ष के लिये दिया जावेगा. प्रशिक्षु हेतु भिन्न-2 ट्रेड में प्रशिक्षण अवधि तथा शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:—

स. क्र.	शिक्षु पद का नाम	शिक्षु हेतु उपलब्ध पद संख्या	प्रशिक्षण हेतु अवधि	शैक्षणिक योग्यता
1.	बुक बाइण्डर	12	2 वर्ष	8वीं उत्तीर्ण
2.	आफसेट मशीन ऑपरेटर	10	3 वर्ष	10वीं (PCM) उत्तीर्ण (10+2 प्रणाली के अन्तर्गत)
3.	इलेक्ट्रिशियन	1	3 वर्ष	10वीं (PCM) उत्तीर्ण
4.	डी. टी. पी. ऑपरेटर	3	2 वर्ष	1. 12वीं (10+2 प्रणाली के अन्तर्गत) 2. Typing Speed of 30 words per minute in English.
5.	प्लेट मेकर	2	2 वर्ष	10वीं (PCM) उत्तीर्ण (10+2 प्रणाली के अन्तर्गत)

प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष है. विस्तृत जानकारी शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल के नोटिस बोर्ड से प्राप्त की जा सकती है. आवेदन-पत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2013 सायं 5.00 बजे तक कार्यालय, संयुक्त नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में प्राप्त किए जायेंगे.

विस्तृत जानकारी एवं आवेदन-पत्र कार्यालय की वेबसाईट "आदेश" www.govtpressmp.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है.

नोट:— ITI से जिस ट्रेड में उम्मीदवार पास होगा उसका चयन किए जाने पर नियमानुसार प्रशिक्षण अवधि में छूट होगी.

स्थान : भोपाल
दिनांक 7-3-2013.

(163)

यू. एन. सिन्हा,
संयुक्त नियंत्रक
एवं प्रभारी,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल.

कार्यालय उप-पंजीयक संस्थाएं, जिला भिण्ड

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, दुल्हागन, तहसील अटेर, जिला भिण्ड पंजीयन क्रमांक 436, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 865, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(156)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, बड़ापुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड पंजीयन क्रमांक 863, दिनांक 12 मार्च, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1420, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(156-A)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, सकराया तहसील अटेर, जिला भिण्ड पंजीयन क्रमांक 420, दिनांक 30 सितम्बर, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 807, दिनांक 28 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(156-B)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, रमां, तहसील अटेर, जिला भिण्ड पंजीयन क्रमांक 441, दिनांक 22 दिसम्बर, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 816, दिनांक 28 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(156-C)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, गजना, तहसील अटेर, जिला भिण्ड पंजीयन क्रमांक 431, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 829, दिनांक 28 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(156-D)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, पावई, तहसील अटेर, जिला भिण्ड पंजीयन क्रमांक 589, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 393, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(156-E)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, परोसा, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड पंजीयन क्रमांक 367, दिनांक 30 मार्च, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1526, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(156-F)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, वरई, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 429, दिनांक 10 सितम्बर, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 819, दिनांक 28 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(156-G)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, जगन्नाथपुरा, तहसील रौन, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 477, दिनांक 29 जुलाई, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1559, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(156-H)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, टीकरी, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 668, दिनांक 29 नवम्बर, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 889, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(156-I)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, मदनपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 389, दिनांक 29 अप्रैल, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 2314, दिनांक 11 नवम्बर, 2000 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(156-J)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, मेहदवा, तहसील रौन, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 781, दिनांक 29 जुलाई, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1462, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(156-K)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, पिथनपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 314, दिनांक 18 जनवरी, 1981 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1177, दिनांक 2 अगस्त, 1991 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(156-L)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, विरगवाँ तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 521, दिनांक 30 मार्च, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1528, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(156-M)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, जौरी ब्राह्मण तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 663, दिनांक 29 नवम्बर, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 887, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(156-N)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, सीताराम का पुरा, तहसील भिण्ड, जिला भिण्ड पंजीयन क्रमांक 560, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 2323, दिनांक 10 नवम्बर, 2000 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(156-O)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, परा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 591, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 2311, दिनांक 10 नवम्बर, 2000 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(156-P)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, गढी, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 420, दिनांक 06 अगस्त, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 2306, दिनांक 10 नवम्बर, 2000 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(156-Q)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, परशुराम का पुरा, तहसील भिण्ड, जिला भिण्ड पंजीयन क्रमांक 665, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 872, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(156-R)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, भारौली खुर्द, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 563, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 806, दिनांक 28 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(156-S)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, देहरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 592, दिनांक 29 सितम्बर, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 867, दिनांक 25 अप्रैल, 1999 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(156-T)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, कैमौखरी, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 375, दिनांक 29 अप्रैल, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 837, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(156-U)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, गुतौर, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 330, दिनांक 23 मार्च, 1982 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 804, दिनांक 28 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(156-V)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, गाता, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 331, दिनांक 31 जुलाई, 1982 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1522, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(156-W)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, पडकौली, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 387, दिनांक 28 अप्रैल, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 821, दिनांक 28 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(156-X)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, खिदरपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 666, दिनांक 29 नवम्बर, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1429, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(156-Y)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, खुर्द (असनेट), तहसील मिहोना, जिला भिण्ड पंजीयन क्रमांक 605, दिनांक 31 जनवरी, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 810, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(156-Z)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, मानगढ, तहसील रौन, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 470, दिनांक 29 जुलाई, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1470, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, ताल का पुरा, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 835, दिनांक 30 अप्रैल, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1430, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-A)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, नौधा, तहसील रौन, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 625, दिनांक 31 जनवरी, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 883, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-B)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, जारी, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 582, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 899, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-C)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, चार घर का पुरा, तहसील भिण्ड, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 564, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 811, दिनांक 28 अगस्त, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-D)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, मोहनपुरा, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 406, दिनांक 15 मई, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 2297, दिनांक 10 नवम्बर, 1997 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-E)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, तेजपुरा (गोरमी), तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 408, दिनांक 15 मई, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 2298, दिनांक 10 नवम्बर, 1997 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-F)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, कुटरौली, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 411, दिनांक 26 मई, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1520, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-G)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, मछरिया, तहसील रौन, जिला भिण्ड पंजीयन क्रमांक 635, दिनांक 25 मार्च, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 886, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-H)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, बवेडी, तहसील भिण्ड, जिला भिण्ड पंजीयन क्रमांक 567, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 892, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-I)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, बढपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 594, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 862, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-J)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, खडोट, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 451, दिनांक 25 जून, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1427, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-K)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, भारौलीकलां, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 566, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 808, दिनांक 28 जून, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(157-L)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, रैपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 662, दिनांक 29 नवम्बर, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 2321, दिनांक 10 नवम्बर, 2000 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(157-M)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, लावन, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 561, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 2324, दिनांक 10 अप्रैल, 2000 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(157-N)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, विरखडी, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 311, दिनांक 27 जून, 1981 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 2317, दिनांक 10 नवम्बर, 2000 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999

के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-O)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, खनेता, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 312, दिनांक 12 जनवरी, 1982 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1182, दिनांक 20 जून, 1991 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-P)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, इमलाहा, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 608, दिनांक 31 जनवरी, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-Q)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, रिनिया, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 25 मार्च, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 803, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-R)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, आलमपुर, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 639, दिनांक 25 मार्च, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 2278, दिनांक 8 नवम्बर, 2000 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(157-S)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, साहपुरा नं. 2, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 526, दिनांक 30 मार्च, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 2301, दिनांक 10 नवम्बर, 2000 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(157-T)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, पराईच, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 618, दिनांक 31 सितम्बर, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1489, दिनांक 25 जुलाई, 1991 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(157-U)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, नौनेरा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 810, दिनांक 31 मई, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-V)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, छीमका, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 310, दिनांक 25 मई, 1981 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-W)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, गुरीखा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 323, दिनांक 18 मार्च, 1982 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1186, दिनांक 20 जून, 1991 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-X)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, निसार, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 577, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 888, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(157-Y)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, हरपुरा, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 624, दिनांक 31 जनवरी, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1533, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(157-Z)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, वीसलपुरा, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 571, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 2258, दिनांक 18 नवम्बर, 2000 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(159)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, सौसरा, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 584, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1461, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(159-A)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, करियावली, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 572, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 836, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(159-B)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, सीताराम की लावन, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 523, दिनांक 30 मार्च, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 2324, दिनांक 8 नवम्बर, 2000 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(159-C)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, वेदीपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 661, दिनांक 22 नवम्बर, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(159-D)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, चौम्हौ, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 431, दिनांक 10 सितम्बर, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 867, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(159-E)

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादित, पीपरी, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्रमांक 664, दिनांक 29 नवम्बर, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(159-F)

उपेन्द्र सिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 24 जनवरी, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1881 विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पैरवारा, तहसील विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./321, दिनांक 21 अक्टूबर, 1982 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल कुमार सक्सेना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पैरवारा, तहसील विदिशा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पैरवारा, तहसील विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./321, दिनांक 21 अक्टूबर, 1982 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(152)

विदिशा, दिनांक 24 जनवरी, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/88/1337, विदिशा, दिनांक 7 जून, 1988 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेड़ा, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./198, दिनांक 31 जुलाई, 1971 को परिसमापन में लाया जाकर श्री दीपक दुबे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेड़ा, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेड़ा तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./198, दिनांक 31 जुलाई 1971 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(152-A)

विदिशा, दिनांक 24 जनवरी, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1882, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हैदरगढ़, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./304, दिनांक 2 मई, 1987 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड ग्यारसपुर को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हैदरगढ़, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हैदरगढ़, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./304, दिनांक 2 मई, 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(152-B)

विदिशा, दिनांक 24 जनवरी, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/564, विदिशा, दिनांक 16 मई, 2006 से अहिल्या कामगार महिला सहकारी संस्था मर्यादित, खजरोद, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./व्ही. डी. एस./615, दिनांक 16 अप्रैल, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड कुरवाई को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा अहिल्या कामगार महिला सहकारी संस्था मर्यादित, खजरोद, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अहिल्या कामगार महिला सहकारी संस्था मर्यादित, खजरोद, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./व्ही. डी. एस./615, दिनांक 16 अप्रैल, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(152-C)

विदिशा, दिनांक 24 जनवरी, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/86/1602/विदिशा, दिनांक 30 जून, 1986 से बन्धुआ मुक्त मजदूर कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, जाफरखेड़ी, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./248, दिनांक 2 मार्च, 1983 को परिसमापन में लाया जाकर श्री दीपक दुबे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा बन्धुआ मुक्त मजदूर कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, जाफरखेड़ी, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बन्धुआ मुक्त मजदूर कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, जाफरखेड़ी, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./248, दिनांक 2 मार्च, 1983 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(152-D)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/551, विदिशा, दिनांक 10 मई, 2007 से गरिमा महिला सहकारी संस्था मर्यादित, हैदरगढ़, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./व्ही. डी. एस./633, दिनांक 11 सितम्बर, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड ग्यारसपुर को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा गरिमा महिला सहकारी संस्था मर्यादित, हैदरगढ़, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गरिमा महिला सहकारी संस्था मर्यादित, हैदरगढ़, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./व्ही. डी. एस./633, दिनांक 11 सितम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 8 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(152-E)

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 31 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1740, दिनांक 26 जून, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीमाखेड़ी, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1157, दिनांक 27 फरवरी, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. चौबे, पर्यवेक्षक, I.D.S. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(143-D)

देवास, दिनांक 31 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 136, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नावदा, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 332, दिनांक 1 मार्च, 1980 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. आर. मालवीय, पर्यवेक्षक, I.D.S. इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(143-E)

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च 2013-चैत्र 1, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के डिण्डोरी जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक—तहसील शाहपुरा (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक—तहसील डिण्डोरी (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, नीमच, शाजापुर, राजगढ़, नरसिंहपुर, सिवनी व झाबुआ, कटनी में रबी की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला सिंगरौली व कटनी में फसल गेहूँ व टीकमगढ़ में जौ, गेहूँ व श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, खरगौन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर एवं सीधी, झाबुआ, इन्दौर, बुरहानपुर, राजगढ़, सिवनी में रबी फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला दमोह में फसल ज्वार, सिंगरौली व सिवनी में धान व टीकमगढ़ में धान, ज्वार, झाबुआ में ज्वार, तुअर की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, सागर, शहडोल, उमरिया, बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का, तुअर, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिल, मूँगमोठ, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) उड़द, गन्ना अधिक. मक्का कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुंगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसल जौ, गेहूँ की बोनी व धान, ज्वार की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, चना, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, ज्वार कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, तिल कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व ज्वार की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, मसूर कम. चना, गेहूँ, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, ज्वार कम. गेहूँ, चना, मसूर, जौ, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. गयपुरकचुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मटर, मसूर कम. तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, राई-सरसों, अलसी, चना, मसूर अधिक. राहर, कोदों, गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, अरहर अधिक. गेहूँ, चना, अलसी कम. राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी : 1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझोली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, मसूर, मटर, गेहूँ, जौ कम. अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला सिंगरौली : 1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, अरहर, मूँग, अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला मन्दसौर : 1. सुवासरा-टप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दसौर 6. सीतामऊ 7. धुन्धड़का 8. शामगढ़ 9. संजीत	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, सरसों अधिक. चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला नीमच : 1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला रतलाम : 1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रतलाम	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला उज्जैन : 1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शाजापुर : 1. मो. बड़ोदिया 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर 5. बड़ौद 6. शाजापुर 7. शुजालपुर 8. कालापीपल 9. गुलाना	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, उड़द, मूँग अधिक. ज्वार, मक्का, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. रबी की जुताई एवं रबी की बोनी व ज्वार, तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. भामरा 4. सोण्डवा 5. उदयगढ़ 6. कट्टीवाडा				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महु (डॉ. अम्बेडकरनगर)				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. सनावद 3. महेश्वर 4. सेगांव 5. करही 6. खरगोन 7. गोगावां 8. कसरावद 9. मुल्ठान 10. भगवानपुरा 11. भीकनगांव 12. झिरन्या				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, कपास, ज्वार, मक्का अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड	..				
9. वरला	..				
*जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) कपास, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, ज्वार कम. मक्का, मूँगफली, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूँग, मक्का, ज्वार (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, गन्ना, तुअर, मूँगफली समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
*जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गौरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. बैतूल	..				
4. मुलताई	..				
5. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. रबी मौसम की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) धान, सोयाबीन, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		मूँगमोठ, उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
*जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) धान, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	..				
4. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की जुताई एवं गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. कटनी	..		4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों, जौ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, उड़द, सोयाबीन, मूँग अधिक. मक्का, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
*जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. निवास	..				
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	33.0				
2. शाहपुरा	15.0				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांढुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसल की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) राई-सरसों, गन्ना अधिक. गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, अलसी कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला खण्डवा, सीहोर, रायसेन, हरदा, मण्डला से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(158)